न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 63/2024 बउनवानी घनश्याम हरिजन बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर बौंली पुत्र श्री बाबूलाल हरिजन निवासी ग्राम शेषा तहसील मलारना डूँगर

GCMS No-2024/156

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
26.12.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 11.10.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" प्रार्थी के पिता बाबूलाल पुत्र नानगा हरिजन को ग्राम दिवाडा मे आवंटित भूमि ख0न0 1494/5 आवंटन आदेश, कब्जा रिपोर्ट, नई पुरानी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सहित जमा करवायी राशि 375 रू की रसीद की सूचना सहित कुल 5 बिन्दुओ की सूचना "* उपजिला कलेक्टर बौली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः प.11(1)आरटीआई/अंतरित/2024/7613 दिनांक 12.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2024 में चाही गयी 5 बिन्दुओं की सूचना का संबंध तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय से होने के कारण उपजिला कलेक्टर बौंली के पत्रांक 6416 दिनांक 16.10.2024 से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार मलारना डूँगर को अन्तरित किया जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन है कि उक्त आवंटित भूमि के नामा0 की नकल दिलवायी जावे । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.10.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचनाओ का संबंध तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा तत्समय ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार मलारना डूँगर को अन्तरित किया जा चुका है तथा अन्य अपील (66/2024 उनवानी जगदीश बनाम तहसीलदार मलारना डूँगर) मे अपीलान्ट द्वारा वांछित सूचनाऐ में से तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय द्वारा बिन्दु संख्या 2 की सूचनाऐ अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दुओं के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 18:03:11 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner